तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

04.05.2022

पत्रावली पैश हुई। प्रार्थनापत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उपलब्ध राजस्व अभिलेख दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

बहस के दौराने प्रार्थी/विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 1880 में से भूमि की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

अप्रार्थी/प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो को अपनी बहस में समायत कर दोहराते हुए प्रार्थी के तर्को के प्रतिरोध में निवेदन किया कि खसरा संख्या 1880 विपक्षी संख्या 01, 02 की निजी क्रयशुदा भूमि है, न कि पैत्रक है। जबकि प्रार्थी कों अपनी खातेदारी में पहुंच के लिए खसरा संख्या 4419/1879, 4420/1879 में से मांर्ग निकटतम रहेगा। प्रार्थी की खातेदारी खसरा 4421/1879 एवं 4419/1879, 4420/1879 एक ही साबिक खसरा संख्या 1879 के विभाजित हिस्से है। अर्थात प्रार्थी को व अन्य सहखातेदारों को खसरा संख्या 1879 का विभाजन करते वक्त यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि अपनी अपनी खातेदारी में पहुंच हेतु मार्ग मौजूद है अथवा नही। विपक्षीगण के खसरा संख्या 1880 का रकबा पहले से ही कम है, यदि प्रार्थीगण को चाहे गये रास्ते अनुसार भूमि दे दी जाती है, तो अप्रार्थी को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही अप्रार्थी का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। प्रार्थी का शुरूवात के आवागमन का कथन असत्य है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी सव्यय खारीज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बारीकी से अध्ययन एंव परीक्षण किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अध्ययन/अवलोकन से यह स्पष्ट दर्शित है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी में पहुंच के लिए खसरा संख्या 4419/1879, 4420/1879 में से मार्ग निकटतम रहेगा। प्रार्थी की खातेदारी खसरा 4421/1879 एवं 4419/1879, 4420/1879 एक ही साबिक खसरा संख्या 1879 के विभाजित हिस्से है। अर्थात प्रार्थी को व अन्य सहखातेदारों को खसरा संख्या 1879 का विभाजन करते वक्त यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि अपनी अपनी खातेदारी में पहुंच हेतु मार्ग मौजूद है अथवा नही। प्रार्थी अपने खाते की भूमि में आवागमन के लिए खसरा संख्या 4419/1879, 4420/1879 के खातेदारों को पक्षकार बना, सक्षम स्तर पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) को अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (भाब.)